

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

ई-मेल

सभी अंचल अधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-11.09.2026

विषय :- बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 के संदर्भ में "सक्षम न्यायालय" एवं "लंबित" (Lis Pendens) मामलों के संबंध में मार्गदर्शन।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-237(9), दिनांक-02.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र पर विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का मंतव्य प्राप्त किया गया।

विभाग स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त इस पत्र की कंडिका-4(ख), (ड), (च) एवं (छ) को विलोपित करते हुए शेष अंश को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

उक्त पत्र की कंडिका- 4(घ) में अंकित 3(क) एवं 3(ख) को क्रमशः 4(क) एवं 4(ग) पढ़ा एवं समझा जाय।

विभागीय पत्रांक-237(9), दिनांक-02.02.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांक-09/दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)-XII-81/2025(खंड)-2565(9)/रा0, पटना-15, दिनांक-11.09.2026

ई-मेल

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी अपर समाहर्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांक-09/दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)-XII-81/2025(खंड)-2565(9)/रा0, पटना-15, दिनांक-11.09.2026

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांक-09/दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)-XII-81/2025(खंड)-2565(9)/रा0, पटना-15, दिनांक-11.09.2026

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव (विभागाध्यक्ष) के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी. के. अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

ई-मेल

सभी अंचल अधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-02/02/2026

विषय:- बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 के संदर्भ में "सक्षम न्यायालय" एवं "लंबित" (Lis Pendens) मामलों के संबंध में मार्गदर्शन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दाखिल-खारिज वादों एवं राजस्व प्रशासन से संबंधित अन्य मामलों यथा- भूमि विवाद, सीमांकन/भू-मापी, आदि के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होने की कारणों की समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उजागर हुआ कि बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-6 (12) में प्रयुक्त शब्द "लंबित" एवं विभिन्न राजस्व मामलों में "सक्षम न्यायालय" शब्द की विभिन्न अंचलों में अलग-अलग व्याख्या किये जाने के कारण अनावश्यक विलम्ब होता है एवं Bonafide Purchaser के संशय की स्थिति में रहने के कारण इस संबंध में मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

2. बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-6 (12) निम्नवत है :-

"होलिडिंग या उसके भाग के दाखिल-खारिज के वैसे मामलों में स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिनमें होलिडिंग या उसके भाग के संबंध में, सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद लंबित हो।"

3. ज्ञातव्य हो कि दिवानी अदालत जो Civil Procedure Code, 1908 से चलता है, में भी "लंबित" (Lis Pendens) की कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है। साथ ही, General Clauses Act, 1897 में भी "लंबित" शब्द परिभाषित नहीं है।

4. उपरोक्त के आलोक में "सक्षम न्यायालय" एवं "लंबित" के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि-

(क) बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-6 (12) में अंकित "सक्षम न्यायालय" से अभिप्रेत दिवानी/व्यवहार न्यायालय (Civil Court)/ पटना उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय है।

(ख) दाखिल-खारिज अथवा अन्य राजस्व संबंधी मामलों हेतु राजस्व न्यायालय (DCLR/ADM/Collector/Commissioner Court)/ विधि द्वारा अधिकृत (Jurisdiction Vested) न्यायालय/ बिहार भूमि न्यायाधिकरण (BLT) भी सक्षम न्यायालय समझे जायेंगे।

(ग) लंबित का अभिप्रेत (i) Admission एवं नोटिस (ii) स्थगन आदेश (Temporary Injunction or Permanent Injunction) (iii) यथास्थिति (Status Quo) होगा।

(घ) "सक्षम न्यायालय में लंबित" का अभिप्राय उपरोक्त कंडिका-3(क) एवं 3(ख) में उल्लेखित न्यायिक/अर्द्धन्यायिक प्राधिकार/न्यायाधिकरण के समक्ष विधिवत दायर एवं प्रक्रियाधीन वाद से होगा। केवल आवेदन, आपत्ति या अभ्यावेदन के किसी न्यायालय में लंबित होना "सक्षम न्यायालय में लंबित" नहीं माना जायेगा।

(ङ) उपरोक्त वर्णित सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थगन आदेश (Stay Order/ Temporary Injunction or Permanent Injunction) अथवा अंतरिम आदेश (Interim Order) प्रभावी हो, तभी राजस्व कार्यवाही पर उसका प्रभाव पड़ेगा।

(च) जहां किसी सक्षम न्यायालय द्वारा स्पष्ट स्थगनादेश पारित नहीं किया गया है, वहां राजस्व अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही जारी रखेंगे।

(छ) सक्षम न्यायालय में दायर वाद की अभिप्रमाणित प्रति जिसमें स्पष्ट रूप से यदि स्वीकारण (Admission) अंकित नहीं हो, "लंबित" नहीं माना जाय।

अतः उपरोक्त दिशा-निदेशों के आलोक में "सक्षम न्यायालय में लंबित" शब्द की व्याख्या करते हुए सभी अंचल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की दाखिल-खारिज वादों एवं अन्य राजस्व मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाय।

विश्वासभाजन
(सी. के. अनिल),
प्रधान सचिव।
02/02/2026

ई-मेल

ज्ञापांक-09/दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)-XII-81/2025-237 (9)/रा0, पटना-15, दिनांक-02/02/26
प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी अपर समाहर्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सी. के. अनिल),
प्रधान सचिव।
02/02/2026

ज्ञापांक-09/दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)-XII-81/2025-237 (9)/रा0, पटना-15, दिनांक-02/02/26
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(सी. के. अनिल),
प्रधान सचिव।
02/02/2026

ज्ञापांक-09/दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)-XII-81/2025-237 (9)/रा0, पटना-15, दिनांक-02/02/2026
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक-सह-जिला सम्पर्क पदाधिकारी (विभाग में प्रतिनियुक्त)/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सी. के. अनिल),
प्रधान सचिव।
02/02/2026